"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 नवम्बर 2005—कार्तिक 13, शक 1927

भाग 3 (1)

विविध

निविदा सूचनाएं

विलासपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

निविदा आमंत्रण सूचना द्वितीय

निविदा क्रमांक 32/त.शा./का. यं./लो. स्वा./2005-2006.—मुहरबंद एकल समूहवार एकमुश्त निविदाएं प्रपत्र "एफ" में नीचे उल्लेखित नल-जल प्रदाय योजनाओं के तहत पूर्व निर्मित आर. सी. सी. टंकियों के सुधार कार्य हेतु टर्न की जाब के आधार पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 8-11-2005 को अपरान्ह 3.00 बजे तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, (छ.ग.) के निर्धारित अथवा उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है.

निविदा के तकनीकी प्रस्ताव निम्न तिथि अर्थात् दिनांक 8-11-2005 अपरान्ह 3.30 बजे निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे. निविदा के वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि तथा स्थान की सूचना तकनीकी प्रस्ताव खोलने के बाद दी जावेगी.

कार्य का नाम

निम्नलिखित ग्रामीण नलजल योजनाओं में पूर्व निर्मित आर. सी. सी. ओव्हरहेड रिजरवांयरों के सुधार कार्य (संलग्न शेड्यूल के अनुसार)

ग्रु. क्र.	कार्य स्थल का विवरण	ठेके की संभावित राशि रु. लाखों में	धरोहर की राशि रु.	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु.	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षा ऋतु छोड़कर)	ठेकेदारों की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ग्राम ओखर विकास खंड, मस्तुरी टंकी की क्षमता 100 के. एल. ऊंचाई 15 मीटर.	3.00	3000/-	750/-	2 माह	A-1 S-1 एवं उससे ऊपर
2.	ग्राम मस्तुरी विकास खंड, मस्तुरी टंकी की क्षमता 150 के. एल. ऊंचाई 09 मीटर.	2.50	2500/-	750/-	2 माह	A-1 S-1 एवं उससे ऊपर
3.	ग्राम जोंधरा विकास खंड, मस्तुरी टंकी की क्षमता 170 के. एल. ऊंचाई 15 मीटर.	3.50	3500/-	750/-	2 माह	A-1 S-1 एवं उससे ऊपर
4.	ग्राम लोहर्सी विकास खंड, मस्तुरी टंकी की क्षमता 170 के. एल. ऊंचाई 09 मीटर.	3.25	3250/-	750/-	2 माह	A-1 S-1 एवं उससे ऊपर

शर्तें

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 5-11-2005 तक (कार्यालयीन अवधि) में प्राप्त किये जावेंगे. कोरे निविदा प्रपत्र एवं संबंधित अभिलेख अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में दिनांक 7-11-2005 तक निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं. निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मंगवाने पर रुपये 50/- अतिरिक्त शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु डाक से विलंब के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा. निविदा की अन्य शर्तें कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है. पंजीकृत ठेकेदार निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व उक्त चारों ग्रामों का स्थल निरीक्षण कर वर्तमान स्थिति सुनिश्चित कर लेवे.

निविदा प्रपत्र प्रदाय हेतु आवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत किया जावें, एवं उसके साथ निम्नलिखित जानकारियां अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावें.

1. नवीन आयकर प्रमाण-पत्र एवं छत्तीसगढ़ शासन का वाणिज्यिक कर पंजीयन प्रमाण-पत्र.

2. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र.

3. निविदा कार्य का समरूप, पूर्ण किये गये कार्य एवं अन्य प्रगतिशील कार्यों की सूची जिसमें कार्य का स्थान, अनुबंध की राशि, कार्यादेश का संदर्भ, कार्य पूर्ण करने की अवधि, कार्य पूर्ण करने की वास्तविक अवधि एवं कार्य की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करना होगा.

4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया 100 के. एल. अथवा उससे अधिक क्षमता का उच्च स्तरीय आर. सी. सी. जलागार के निर्माण कार्य के संतोषप्रद संपादन का प्रमाण पत्र जो कार्यपालन अभियंता के स्तर से नीचे का अधिकारी न हो.

5. सफलतापूर्वक कार्य पूर्ण करने हेतु उपलब्ध उपकरण एवं संयंत्रों की सूची.

अन्य शर्तें

1. एकमुश्त निविदा दर समस्त कर एवं अधिभार जो कार्य संपादन के समय प्रभावी हो सहित होना चाहिये.

2. कार्य हेतु ठेकेदार को आई. एस. आई. मार्क की आवश्यक ओ. पी. सी. सीमेंट आई. ए. 269-1975 की स्वयं लगाना होगा. साथ ही टेस्ट प्रमाण-पत्र ठेकेदार को प्रस्तुत करना होगा.

3. विलंब से प्राप्त निविदा अथवा निर्धारित स्वरूप में धरोहर राशि प्राप्त न होने पर प्रस्तुत निविदा बिना खोले ही निविदादाता को वापस कर दी जावेगी.

4. किसी भी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी को होगा.

5. निविदाकार को वर्तमान में प्रगतिरत टंकी के कार्य का विवरण जैसे स्थान, विभाग, क्षमता, स्टेजिंग एवं लागत का उल्लेख कर विवरण देना होगा.

6. जिस निविदाकार ने निविदा दिया है, तथा उनकी दर न्यूनतम एवं विचाराधीन है, इसके अंतर्गत स्थान, क्षमता, स्टेजिंग एवं लागत का पूर्ण उल्लेख होना चाहिये.

7. यदि किसी तथ्य को छुपाया जावेगा तो निविदाकार से नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

8. निविदाकार को न्यूनतम 100 किलो लीटर या उससे अधिकतम क्षमता की उच्च-स्तरीय आर. सी. सी. टंकी सफलतापूर्वक निर्माण का अनुभव (प्रमाण-पत्र) प्रस्तुत किया जाना होगा एवं प्रमाणीकरण कार्यपालन अभियंता के स्तर अथवा उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी का होना चाहिये.

9. निविदा प्रपत्र सिर्फ आर.सी.सी. टंकी निर्माण का अनुभव प्राप्त ठेकेदारों को ही प्रदाय किया जावेगा.

10. समस्त विवादों का निपटारा सक्षम न्यायालय में बिलासपुर जिले के अंतर्गत किया जावेगा.

11. निविदा सूचना छ. ग. के वेबसाइट http/www/chhattisgarh/NIC IN/Tender में उपलब्ध रहेगी.. ठेकेदार उक्त विज्ञप्ति E-MAIL के माध्यम से Pramarao @ e.g.nic. से प्राप्त कर सकते हैं.

12. निविदा दरों की वैधता खुलने की दिनांक से 120 दिनों तक मान्य होगी.

बिलासपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2005

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक 33/त.शा./का. अ./लो. स्वा./2005-2006.—मुहरबंद एकमुश्त समूहवार निविदाएं प्रपत्र "अ" में निम्नलिखित उल्लेखित स्थल योजना के तहत पाइप लाइन बिछाने के कार्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा प्रस्तुत करने की समय सारिणी के अनुसार केवल छ.ग. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है.

निविदा उसी दिन निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे.

निविदा की समय सारिणी (केवल बिलासपुर खंड में)

(1)	कोरे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	5-11-2005 (कार्यालयीन अवधि)
(2)	कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से जारी करने की तिथि एवं समय	:	7-11-2005 (कार्यालयीन अवधि)
(3)	निविदा प्रस्तुत करने की तिथि	:	8-11-2005 (अपरान्ह 3 बजे तक)
(4)	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	8-11-2005 (अपरान्ह 3.30 बजे तक)

कार्य का विवरण

बिलासपुर जिले के विकास खण्ड पथरिया एवं लोरमी में स्थित ग्राम स्थल जल योजना के तहत जल वितरण प्रणाली के लिये विभिन्न आकार के जी. आई. पाइप (मिडियम श्रेणी) पी. व्ही. सी. पाइप क्लास 10 बिछाने एवं जोड़ने का कार्य/कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का संलग्न शेड्यूल के अनुसार स्थल पर प्रदाय, बिछाने एवं जोड़ने का कार्य एवं समस्त सिविल कार्य तथा वाल्व चैम्बर, स्टेण्डपोस्ट इत्यादि का निर्माण इन्टर कनेक्शन टेस्टिंग तथा पाइप लाइन चालू करने का एकमुश्त कार्य (सभी सामग्री सहित) (संलग्न G/Schedule के अनुसार) एवं 2 स्थानों पर बाऊंड्री वाल का निर्माण कार्य. (संलग्न G/Schedule के अनुसार)

समूह क्रमांक	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	धरोहर की राशि (रुपये)	निविदा प्रपत्र की कीमत (रुपये)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाऋतु छोड़कर)	ठेकेदारों की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ग्राम धमनी विकासखंड पथरिया (पी. व्ही. सी. पाइप Class-10)	3.75	3750/-	750/-	2 माह	बी श्रेणी एवं ऊपर
2.	ग्राम साल्हेघोरी विकासखंड लोरमी (जी. आई. पाइप Class-Medium)	1.00	2000/-	300/-	2 माह	सी श्रेणी एवं ऊपर
3.	ग्राम टिकैतपेण्ड्री विकासखंड पथरिया (जी. आई. पाइप Class-Medium)	5.50	5000/-	750/-	2 माह	ए-1, श्रेणी एवं ऊपर

निविदा की अन्य शर्तें

1. निविदा की अन्य शर्तें मुख्य निविदा एवं संक्षिप्त निविदा सूचना के अनुसार होगी. निविदा की अन्य जानकारी एवं विस्तृत विवरण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है.

2. निविदा प्रपत्र एवं अन्य संबंधित जानकारी कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र का मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते हैं. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु रुपये 50/- (पचास रु. मात्र) डाक शुल्क देना होगा. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र खो जाने अथवा समय पर प्राप्त न होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा.

3. यह निविदा विज्ञप्ति संबंधित निविदा का अंग है. विस्तृत निविदा सूचना एवं संबंधित प्रपत्रों की सारी शर्तें एवं नियमों के साथ इसके शर्तें भी लागू होंगे.

4. निविदा दरों की वैधता खुलने की दिनांक से 120 दिनों तक मान्य होगी.

5. कार्य की प्रवृत्ति के अनुसार निम्नलिखित दर सूची इस निविदा में लागू होगी.

सिविल कार्य :—

(अ) प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (भवन तथा सड़क), भोपाल की नई दर सूची दिनांक 1-1-2000 से इस विभाग में लागू की गई है.

(ब) **पाइप लाइन बिछाने का कार्य** :—प्रमुख अभियंता, लोक स्वा.यां. विभाग, भोपाल (म. प्र.) की नयी Unified Schedule of Rates for the work of water supply & Sewerage pipe lines inforce from 1-9-2002 जो कि छ. ग. शासन उप-सचिव, लोक स्वा. यां. विभाग, रायपुर के पत्र क्र. 1597/सचिव/लो.स्वा.यां./रायपुर, दिनांक 1-10-2004 के अनुसार लागू की गई है. उपरोक्त दोनों दर सूची निविदा जारी होने की दिनांक से समस्त संशोधन सहित लागू होगी.

6. कार्य में लगने वाले G.I. Pipes (Class Medium) एवं पी. व्ही. सी. पाइप (Class 10) प्रदाय ठेकेदार को स्वयं करना होगा एवं कार्य स्थल तक परिवहन लोडिंग-अनलोडिंग ठेकेदार को स्वयं करना होगा. किसी भी तरह की टूट-फूट के लिये स्वयं ठेकेदार जिम्मेदार होगा.

7. कार्य में लगने वाला सीमेंट ठेकेदार को स्वयं क्रय कर कार्य में लगाना होगा. सीमेंट का प्रदाय ISI मार्क OPC सीमेंट IS : A 269/75 पूर्ण संशोधित लगाना होगा, साथ ही Test प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा.

8. कार्य में लगने वाले G.I. Pipes (Class Medium) एवं पी. व्ही. सी. पाइप (Class 10) के लिए लगने वाले वाल्व, स्पेशल्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री ठेकेदार को स्वयं लगाना होगा. प्रदाय की जाने वाली सामग्री D.G.S. & D./S. G.C./RITES द्वारा संबंधित I.S. Code के अनुसार निरक्षित एवं सत्यापित होनी चाहिये.

9. कार्य में लगने वाला स्टील ठेकेदार को लगाना होगा एवं स्टील का Testing प्रमाण-पत्र समय-समय पर प्रस्तुत करना होगा.

10. आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा कम/अधिक की जा सकती है.

11. सक्षम अधिकारी को निविदा स्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा.

12. निविदा प्रपत्र प्रदाय हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावें.

(Attested copy)

(1) नवीन आयकर प्रमाण पत्र/छ.ग. शासन का वाणिज्यकर पंजीयन प्रमाण-पत्र.

(2) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र.

(3) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निष्पादन प्रमाण-पत्र के साथ संतोषजनक रूप से पूर्ण किये गये समान प्रकार के कार्यों की सूची, कार्य अनुबंधवार छ.ग. शासन के बिक्री पर पंजीकृत प्रमाण-पत्र तथा कार्य का नाम, मंडल/विभाग का नाम, कार्य की मात्रा, प्रगति में कार्य की स्थिति तथा टिप्पणियों के साथ कार्यों की सूची संलग्न करना होगा. सफलतापूर्वक कार्य के संपादन हेतु उपलब्ध उपकरण/सयंत्रों की पूरी सूची.

13. छ. ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर के आदेश दिनांक 1-10-04 के अनुसार कार्य के निरीक्षण में Third party Inspection का प्रावधान रखा गया है. इस तरह का निरीक्षण, बिलासपुर संभाग के अन्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सक्षम अधिकारी (बिलासपुर खंड को छोड़कर) समय-समय पर किया जावेगा. निरीक्षण के पश्चात् ही Payment schedule के अनुसार पूर्ण किये गये कार्यों का भुगतान कार्य की गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्ति के पश्चात् किया जावेगा.

14. समस्त विवादों का निपटारा "सक्षम न्यायालय" में बिलासपुर जिले के अंतर्गत किया जावेगा.

15. निविदा सूचना छ. ग. शासन के वेबसाइट http/www/chhattisgarh/NIC IN/Tenders ' भी उपलब्ध रहेगी. ठेकेदार/फर्म उक्त विज्ञप्ति E-MAIL के माध्यम से Pramarao @ e.g. nic. प्राप्त कर सकते हैं.

आर. के. गेंदले,
कार्यपालन अभियंता,
लोक. स्वा. यां. खंड, बिलासपुर (छ.ग.)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.